6

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 5(1) मं.मं./2017

जयपुर, दिनांक 3 JAN 2017

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अनुमति से मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का एतद्द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता हैः-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। —अध्यक्ष
2. श्री हेम सिंह भडाना, मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग। —सदस्य
3. श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। —सह-अध्यक्ष एवं संयोजक

उक्त उप समिति निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्य पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगीः-

1. विशेष पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंध में समिति द्वारा सभी संबंधित पहलुओं की निरन्तर समीक्षा की जावेगी।
2. समिति द्वारा विशेष पिछडा वर्ग से संबंधित समाज के सदस्यों/प्रतिनिधियों को नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर सुझाव एवं सलाह देने हेतु आमंत्रित किया जाता रहेगा।
3. सभी लम्बित मुकदमों (राज्य एवं केन्द्र) की वापसी एवं निस्तारण के लिए नियमानुसार किए जाने वाले कार्यों की निरन्तर समीक्षा करेगी।
4. देवनारायण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षा करेगी।
5. अन्य कोई बिन्दु जो समिति को सन्दर्भित किए जावें।

उक्त उप समिति के सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होंगे तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रीगण।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

(एन0एल0 जेवरिया)
शासन उप सचिव